उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 165 /XXIII/2013/04(01)2013
देहरादून दिनांकः 4 मार्च, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याः 1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है :–

यह नियम दिनांक–01 अप्रैल, 2013 से दिनांक–31 मार्च, 2014 तक प्रभावी रहेंगे।

1. **मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :–**

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से कुल प्राप्त राजस्व (वर्ष 2012–13 में निर्धारित राजस्व + 20 प्रतिशत अभिकर मुक्त उठान पर देय लाईसेंस फीस + 20 प्रतिशत अभिकर मुक्त उठान से अधिक अतिरिक्त उठान पर देय एम0जी0डी0 व लाईसेंस फीस माह फरवरी, 2013 तक) में दुकानवार योग करके दुकान का राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

2. **मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–**

वर्ष 2013–14 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बराबर निकटतम ₹ 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। ₹ 35.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में ₹ 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2013 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट का विवरण निम्नवत होगा :–

(एक) देशी मदिरा– दुकान के लाईसेंस फीस का 10 (दस) प्रतिशत ।

(दो) विदेशी मदिरा– दुकान के राजस्व का 2 (दो) प्रतिशत ।

3. **मदिरा दुकानों की न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :–**

उपरोक्त नियम–1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से नियम–2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर **न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी** निर्धारित किया जायेगा।

क्रमश – 2

निकासी हेतु वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

4. **मदिरा के 25 प्रतिशत अतिरिक्त एवं उससे अधिक उठान पर देय शुल्क :–**

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम् मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के 25 प्रतिशत प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर का 50 प्रतिशत लिया जायेगा,एवं प्रति माह 25 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर का 75 प्रतिशत लिया जायेगा।

परन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय मासिक राशि से अधिक उठान हेतु अनुज्ञापी अपना आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देगें। सम्बन्धित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक तत्काल अपनी आख्या जिला आबकारी अधिकारी को देगें। जिला आबकारी अधिकारी तत्समय ही अनुज्ञापी के आवेदन को लिखितरुप मे स्वीकृत/अस्वीकृत करेगें। यदि कोई अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों से सहमत ना हो तो वह आबकारी आयुक्त को अपील कर सकता है।

5. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–**

(एक) दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। लाटरी द्वारा आवंटन की प्रकिया विगत वर्षों की भांति अथवा ई–लाटरी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ **₹ 16,000/– की फीस ई–पेमेंट अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कौपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट** प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा,। जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी।

क्रमश –

दुकान जिस जिले के अन्तर्गत आती हो, उसी जिले के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे राज्य मे एक आवेदक को एक से अधिक देशी/ विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित नही की जायेंगी। आवेदक जनपद की सर्वाधिक राजस्व वाली देशी/विदेशी मदिरा की दुकान के अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जमा कर जनपद की किसी भी दुकान पर आवेदन कर सकता है। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

(दो) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है, तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये राज्य के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष **2013–14** की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

6. **प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापन।**

प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ व मसूरी में Mild Drink की उपलब्धता हेतु उक्त स्थानों में एक–एक दुकानों का सृजन किया जा चुका है। आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमति से इसी ब्यवस्था के तहत कोई भी जनपद बीयर की नई दुकाने खोल सकते हैं। प्रदेश मे बीयर की समस्त दुकानो का लाटरी पद्धति से व्यवस्थापन किया जायेगा। प्रदेश मे बीयर की समस्त दुकानो पर बीयर के अतिरिक्त

क्रमश –

वाईन तथा आर0टी0डी0 की बिक्री सीव्ड बोतलों में अनुमन्य होगी। प्रदेश मे बीयर की समस्त दुकानो का अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1 लाख प्रति दुकान नियत किया जाता है।

पात्रताः– आवेदन की पात्रता की शर्ते दुकान का व्यवस्थापन/हैसियत प्रमाण पत्र व आवेदन शुल्क का निर्धारण देशी/विदेशी मदिरा दुकानो के समान रहेगी।

7. **प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्रीः–**

प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा के ₹ 300 प्रति बोतल ई0डी0पी से अधिक ई0डी0पी की बोतलों एवं वाईन की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी। तथा इनका अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2 लाख वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगी। मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर को बारों को अनुमन्य एम0जी0डी0 दर पर एफ0एल0–2 से मदिरा का उठान करना होगा। आवेदन के पात्रता/आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जायेगी।

8. **मदिरा दुकानों की बिक्री की समय अवधि :–**

राज्य में मदिरा की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा, परन्तु जनपद–हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर की सीमाओं में स्थित ऐसी दुकानें, जो दुसरे राज्य की सीमा से 10 कि० मी० के अन्दर अवस्थित हों, के बन्द होने का अधिकतम समय रात्रि 11 बजे तक रहेगा।

9. **विलम्बित प्रतिभूति पर दण्डक ब्याजः–**

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में जमा की जाने वाली प्रतिभूति (नकद/बैंक गारन्टी के रूप में) विलम्ब से जमा किये जाने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्डक ब्याज देय होगा।

10. **अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन :–**

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ मे अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों मे अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

11. **विदेशी मदिरा फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्थाः–**

प्रत्येक जिले में अधिकतम राजस्व वाली विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ०एल०–5 डी० लाईसेंसी द्वारा दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु एफ०एल०–5 ई० लाईसेंस लेना होगा। एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 28 प्रतिशत के बराबर होगी।

उक्त के अतिरिक्त अपराध निरोधक क्षेत्र की सबसे अधिक राजस्व वाली विदेशी

क्रमशः – 5

मदिरा दुकान को भी अनुज्ञापी के आवेदन पर उक्त शर्तों के अधीन उक्त सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

12. **मदिरा के अवशेष स्टाक के निस्तारण के सम्बंध में :–**

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण नियमानुसार होगा।

13. **देशी मदिरा की दुकानों हेतु प्रतिबन्धित जनपदः–**

पूर्व की भांति गढ़वाल मंडल के पाँच जनपदों (पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चमोली) में देशी मदिरा_की दुकानों का संचालन नही किया जायेगा।

14. **जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें :–**

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) शासनादेश **संख्याः 311/XXIII/2008 /18/2008 दिनांक** 16.06.2008 की व्यवस्था के अनुसार रखी जायेगी।

15. **किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करना :–**

(1) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

(2) यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व सहमति से निर्णय ले सकेंगे।

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाये कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

16. **पात्रता :–**

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्ते अग्रलिखित शर्तो के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी;

क्रमशः –

(एक) परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा

(दो) यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(1) यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियतप्रमाण–पत्रकीतिथि से अद्यतन) प्रार्थी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

(2) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।

(3) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

(4) हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

(तीन) आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा, ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिंग प्राधिकारी को होगा।

(चार) आवेदक का स्थाई रूप से जनपद का निवासी होना अनिवार्य होगा, अतः दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(पांच) आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम दुकान लॉटरी में निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्ते पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझेदार को सम्मिलित करने की अनुमति नियमानुसार दी जा सकेगी।

क्रमश – 7

17. **देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर :–**

(एक) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क देय नही होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगी :–

(क) विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई0डी0पी0 वार निम्नवत् रहेगी।

क्र०सं०	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0
1	रू0 28.00 तक	₹ 110
2	रू0 28.01 से रू0 35.00 तक	₹ 115
3	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	₹ 120
4	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	₹ 125
5	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	₹ 175
6	रू0150.01 से रू0 300.00 तक	₹ 240
7	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	₹ 300
8	रू0 450 से अधिक	₹ 350

(ख) अन्य मामलों में विदेशी मदिरा की उत्पाद शुल्क की दर ₹ 110 प्रति अल्कोहलिक लीटर रहेगी।

(दो) 5 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर (Mild Beer) पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर ₹ 17/– प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बियर (Strong Beer) एवं वाईन पर ₹ 33/– प्रति बल्क लीटर रहेगी।

18. **देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना :–**

(एक) देशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी ₹ 140/– प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जाती है।

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :–

क्रमश – 8

क्र०सं०	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0(प्रति बोतल)
1.	₹ 28.00 तक	₹ 100.00
2.	₹ 28.01 से रू0 35.00 तक	₹ 113.00
3.	₹ 35.01 से रू0 55.00 तक	₹ 130.00
4.	₹ 55.01 से रू0 75.00 तक	₹ 148.00
5.	₹ 75.01 से रू0 150.00 तक	₹ 191.00
6.	₹ 150.01 से रू0 300.00 तक	₹ 208.00
7.	₹ 300.01 से रू0 450.00 तक	₹ 260.00
8.	₹ 450 से अधिक	₹ 348.00

(तीन) अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः ₹ 25/– तथा ₹ 50/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धा एवं पौवा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी।

19. **सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क,ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें :–**

(एक) वर्ष 2013–14 के लिए एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए ₹ 10,000/– लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(दो) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगीः–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार **ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल)** वार निर्धारित किया जायेगाः–

क्रमशः – 9

क्र० सं०	ई०डी०पी० मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए०एल०
1	₹ 28.00 तक	₹ 110
2	₹ 28.01 से रू0 35.00 तक	₹ 115
3	₹ 35.01 से रू0 55.00 तक	₹ 120
4	₹ 55.01 से रू0 75.00 तक	₹ 125
5	₹ 75.01 से रू0 150.00 तक	₹ 175
6	₹ 150.01 से रू0 300.00 तक	₹ 240
7	₹ 300.01 से रू0 450.00 तक	₹ 300
8	₹ 450 से अधिक	₹ 350

(ब) रियायती रम ₹ 55.00 प्रति ए०एल०

(स) बियर एवं वाइन एफ०एल०–9 के अन्तर्गत एफ०एल०–5 के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(तीन) असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :–

क्र० सं०	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर)	₹ 60.00
(2)	रियायती रम	₹ 35.00
(3)	बियर/वाइन	एफ०एल०–5के समान दर।

20. आई०टी०बी०पी०/सशस्त्र सीमा बल (एस०एस०बी०) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन /ब्राण्डी /बियर आदि) की सुविधाः–

आई०टी०बी०पी०/सशस्त्र सीमा बल (एस०एस०बी०) को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सख्यां 989 **/XXIII/2011/43/VIP/2002 दिनांक 07.12.2011** के उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट को छोडकर विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री (संशोधन) नियमावली–2011 के अन्तर्गत को अनुज्ञापन दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

क्रमश – 10

21. मदिरा का विक्रय मूल्य :–

वित्तीय वर्ष 2012–13 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बियर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा। विदेशी मदिरा (देशी मदिरा/बियर/वाईन को छोडकर) का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जायेगा।

कम सं0	
1	ई0डी0पी0
2	निर्यात शुल्क
3	आयात शुल्क
4	बाण्ड व्यय
5	उत्पाद शुल्क
	योग
6	वाणिज्य कर
7	आई0टी0–होलोग्राम शुल्क
	एफ0एल0–2 पर लागत मूल्य
8	टी0सी0एस0
9	एम0जी0डी0
	लागत मूल्य
10	फुटकर विकेता का लाभांश
	अधिकतम बिकी मूल्य

(एक) प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की विकी रसीद देना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर बार कोड रीडर एवं प्रिन्टर की ब्यवस्था अनुज्ञापी अपने स्वयं के ब्यय से करेगा ।

(दो) उन कम्पनियों जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, के केवल वही ब्राण्डस उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे, जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो। उनके वे ब्राण्ड जिनकी ई0 डी0 पी0 ₹ 150 / (एक सौ पचास) प्रति बोतल

क्रमशः–11

तक हो, की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई0डी0पी0 दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से कम अथवा समान होगी, की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। ई0डी0पी0 ₹ 150/(एक सौ पचास) प्रति बोतल से अधिक ई0डी0पी0 को उक्त प्रतिबन्ध मे छूट होगी। आपूर्तिकर्ता ब्राण्ड की दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ब्राण्ड की ई0डी0पी0 वर्ष के दौरान बढ़ने पर उत्तराखण्ड राज्य में भी ई0डी0पी0 बढ़ाकर फुटकर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसा वर्ष में दो बार ही किया जा सकेगा। समतुल्य ब्राण्डस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त किया जायेगा। ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स–कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी।''

उपरोक्त के होते हुये भी अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः ₹ 25/– तथा ₹ 50/– अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी।

जो आपूर्तक दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नही रख सकेंगे। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर ₹ 1 लाख पेनाल्टी आरोपित किये जाने **तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी** के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

22. **देशी/विदेशी मदिरा का आयात :–**

देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के चीप ब्राण्ड्स की बोतलों को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नही दी जायेगी।

23. **विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू) अनुज्ञापन :–**

(1) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माता को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयां जो, आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हिस्की, ब्रान्डी, जिन, बियर, वॉईन वोडका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है,

क्रमश – 12

अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बाटल्ड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (legal rights) प्राप्त हैं, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

(3) वर्ष 2013–14 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के लिये ₹ 5 लाख, एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन के लिए ₹ 3 लाख एवं एफ0एल0–2 (एस)/एफ0एल0–2(डब्लू) अनुज्ञापन के लिये ₹1.5 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल ₹ 1 लाख एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए ₹ 50 हजार देय होगी।

24. जिलों में खोले गये एफ0एल0–2 अनुज्ञापन को न चलाया जाना :–

यदि किसी लाईसेंसी द्वारा किसी जिले में खोले गये एफ0एल0–2 अनुज्ञापन को वित्तीय वर्ष 2013–14 में नही चलाया जाता है, तो उसे वित्तीय वर्ष 2013–14 में तीन माह के भीतर उस एफ0एल0–2 गोदाम में रखी गई मदिरा की नियमानुसार बिक्री सुनिश्चित करनी होगी, अथवा आबकारी आयुक्त की अनुमति से अपने अन्य एफ0एल0–2 या एफ0एल0–1 या बॉण्ड अनुज्ञापन को स्थानान्तरित करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी एफ0एल0–2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा गोदाम में रखे स्टॉक का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

25. बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नांनुसार निर्धारित की जाती है:–

1.	<u>बियर</u> (एक) बियर 650एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0 एल0 की 24 पैक की पेटी एवं वाईन (750 एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी)।	150/–
	(दो) 500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	230/–
	(तीन) 330 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	150/–
2.	वाईन 750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	150/–
3.	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	150/–

क्रमशः – 13

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

26. **राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्रीः—**

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता उत्तराखण्ड राज्य मे बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0—2/2बी/2एस/2डब्लू लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सों की फीस वर्ष 2013—14 में निम्नानुसार होगीः—

1.	**बी0डब्लू0एफ0एल0—2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन)**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये**
	(1) 25,000 पेटियों तक	₹ 3.00 लाख
	(2) 25,001 से 50,000 पेटियों तक	₹ 6.00 लाख
	(3) 50,001से 1,00,000पेटियों तक	₹9.00 लाख
	(4)1,00,000 पेटियोंसे 500,000 पेटियों तक	₹ 12.50 लाख
	((5)5,00,000पेटियोंसे1000,000 पेटियों तक	₹ 15.00 लाख
	(6)10,00,000 पेटियों से अधिक	₹ 20.00 लाख
2.	(क) बी0डब्लू0एफ0एल0—2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए।	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये
	(1) 50,000 पेटियों तक	₹ 3.00 लाख
	(2) 50,001से1,00,000 पेटियों तक	₹ 6.00 लाख
	(3) 1,00,000 पेटियों से अधिक	₹ 9.00 लाख
	(ख)बी0डब्लू0एफ0एल0—2बी (आई) केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए	
	(1) 1000 पेटियों की बिक्री तक	₹ 15 हजार
	(2) 1000 पेटी से अधिक	₹ 1500/— प्रत्येक 100 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।

क्रमशः— 14

3.	बी0डब्लू0एफ0एल0–2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये) (1) 100 पेटियों की बिक्री तक (2) 100 पेटी से ऊपर।	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ₹ 15 हजार मात्र ₹ 7500/– प्रत्येक 50 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
4.	बी0डब्लू0एफ0एल–2डब्लू बाण्ड (केवल वाईन के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ₹ 12 हजार मात्र
5.	एफ0एल0–1(प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादों को थोक में एफ0एल0–2 को बेचने हेतु लाईसेंस) (1) 12,500 पेटियों तक (2) 12,501 से 25,000 पेटियों तक (3) 25,000 पेटियों से अधिक पर	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ₹ 60 हजार ₹ 1.20 लाख ₹ 3.00 लाख

प्रदेश से बाहर के विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्लू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स (कम्पनियों) की मदिरा आयात किये जाने पर प्रति यूनिट (कम्पनियों) से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0डब्लू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस /2डब्लू की सामान्य लाईसेंस फीस के 15 प्रतिशत लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा।। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स (कम्पनियों) की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

27. **लेबल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–**

(एक) विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष ₹ 12,500/ (रूपये बारह हजार पॉच सौ मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(दो) बियर/वाईन/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबलों के अनुमोदन के लिए धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 7500/– (रूपये सात हजार पांच सौ मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होंगी।

क्रमश – 15

28. **होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–**

होटल बार लाईसेंस एफ०एल०–6(सम्मिश्र)बार की लाईसेंस फीस होटल के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र0 स0	**एफ0एल0–6(समिश्र) अनुज्ञापन कमरों की संख्या के आधार पर**	**धनराशि**
1.	20 कमरों तक	₹ 2 लाख
2.	20 कमरों से अधिक किन्तु 60 से अनधिक तक	₹ 4 लाख
3.	60 कमरों से अधिक	₹ 6 लाख

29. **रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है :–**

क्र0 सं0	**बार का प्रकार**	**लाईसेंस फीस (₹ में)**
1.	**रेस्टोरेन्ट बार**	₹ 2 लाख
2.	**बियर बार** (1) रेगुलर बियर बार (2) सीजनल बियर बार	 ₹ 30 हजार ₹ 15 हजार
3.	**क्लब बार** (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए)	 ₹ 1.20 लाख ₹ 1.80 लाख ₹ 3 लाख
4.	**अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन)**	₹ 2 हजार मात्र

गैर–होटल बार लाईसेन्स धारी प्राइवेट व्यक्तियों को बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 1(एक) हजार वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा।

ड्राफ्ट बियर की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत् दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500एम0एल0 केन बियर की बिक्री की जा सकेगी।

क्रमश – 1

30. **बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी :–**

एफ0एल0–2 से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नांनुसार होगी:–

क0सं0	एक्स आसवनी मूल्य	एम0जी0डी0 की दर (प्रति बोतल)
1.	₹ 35.01 से ₹ 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	₹ 165/–
2.	₹ 55.01 से ₹ 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	₹ 198/–
3.	₹ 75.01 से ₹ 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	₹ 232/–
4.	₹ 150.01 से ₹ 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	₹ 264/–
5.	₹ 300.01 से ₹ 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	₹ 330/–
6.	₹ 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	₹ 462/–
7.	बियर एवं वाइन की बोतलों पर	शून्य
8.	बियर 500 एम0एल0, 330 एम0एल0 एवं 325 एम0एल0 के पैक, ओवरसीज लिकर के 50 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक	₹ 10/– प्रति पैक

(अ) बारों में उठान के सापेक्ष एम0जी0डी0 निम्नानुसार ली जायेगी:–

1	3000 बोतल तक	एम0जी0डी0 उपरोक्तानुसार ली जायेगी।
2	3001 से 5000 बोतल तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर के निकासी दी जायेगी।
3	5001 से 10000 बोतलों तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 20 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।
4	10000 से अधिक बोतलों पर	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 30 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।

क्रमश –

(ब) बारों को एफ0एल0–2 से न्यूनतम उठान सीमा को समाप्त किया जाता है। कोई बार अनुज्ञापन किसी भी न्यूनतम सीमा तक एफ0 एल0–2 से उठान कर सकता है।

(स) होटल बारों को कमरों मे मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा लाईसेंस फीस होटल बारों के लाईसेंस फीस के 25 प्रतिशत के बराबर होगी।

31. **होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हता :–**

(1) ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री ₹ 5.5 लाख अथवा उससे अधिक हो।

किसी भी होटल/रेस्त्रांबार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष मे पके हुये भोजन की बिक्री ₹ 5.5 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नही किया जायेगा।

(2) एफ0एल0–7 के बार आवेदन हेतु आवेदक को ₹ 50 हजार बैंक ड्राफ्ट के रुप मे आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर ₹ 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रुप मे समायोजित कर लिया जायेगा जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगी।

32. **गढवाल मण्डल के पांच जनपदों में बारों का संचालन :–**

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों (पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली) में बार/बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 शैय्या) वाले होटल/रिसोर्टस, जो मुख्य यात्रा मार्ग पर स्थित न हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

33. **बियर एवं वाईन बार /सीजनल बियर एवं वाईन बार लाईसेंस :–**

उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिक्री ₹ 3 लाख वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें ₹ 30,000 प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर एवं वाईन बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बीयर एवं वाईन बार हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात ₹ 15 हजार होगी। बियर बार पर वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

क्रमशः – ;

34. आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना :–

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी:–

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के सांथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था वह आसवनी स्वंय करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रो पब ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के आधीन जारी किये जायेंगे।

35. बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0 एल0 एम0–3 हेतु बॉटलिंग फीस :–

व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0–3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेंस फीस देय होगी।

परन्तु कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज पर बाटलिंग फीस एवं लाईसेंस फीस बीयर पर निर्धारित बाटंलिग एवं लाईसेंस फीस के समान होगी।

36. ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है :– (एक) अधिष्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तक ₹ 10 हजार

(दो) अधिष्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक ₹ 20 हजार

(तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10000 किलो लीटर से अधिक पर ₹ 2 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

क्रमश – 19

37. एफ0एल0एम0–3 की लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नानुसार होगीं :–

क0सं0	विनिर्माणशाला की भराई क्षमता	लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)
1.	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 4,50 लाख मात्र
2.	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 9 लाख मात्र
3.	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0)तक।	₹ 13 लाख मात्र
4.	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0)तक।	₹ 25 लाख मात्र
5.	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	₹ 40 लाख मात्र
6.	पचास लाख से अधिक परन्तु पिचहत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 60 लाख मात्र
7.	पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 80 लाख मात्र
8.	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	₹ 96 लाख मात्र
9.	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक परन्तु एक करोड पचास लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 1 करोड 15 लाख मात्र

क्रमश – 2

38. **विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीस :–**

एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम ₹ 1 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगीः–

बोतल का प्रकार	राज्य मे बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
750मि0ली0 बोतल	₹ 3.00 प्रति बोतल	₹ 1.50 प्रति बोतल

अन्य धारिता की बोतलों के बाटलिंग फीस की गणना बोतल के मानक के आधार पर की जायेगी।

39. **एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत देय बाटलिंग फीसः–**

एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बाटलिंग व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में बाटलिंग अनुज्ञापन में वर्ष के लिए न्यूनतम ₹ 1 लाख के अधीन विदेशी मदिरा पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगीः–

बोतल का प्रकार	राज्य मे बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
750 मी0ली0 बोतल	₹ 3.80 प्रति बोतल	₹1.50 प्रति बोतल

अन्य धारिताओं के बाटलिंग फीस की गणना बोतल के मानक के आधार पर की जायेगी।

40. **एफ0 एल0–3 एवं एफ0 एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत बियर/ब्रीजर पर देय बाटलिंग फीसः–**

एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,18,000/–(रू० एक लाख अट्ठारह हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग फीस निम्नांनुसार देय होगीः–

क्रमश –

क्र0सं0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3 हेतु लाईसेंस फ़ीस
1	650 एम0 एल0 बोतल पर	₹ 0.60 प्रति बोतल	₹ 0.60 प्रति बोतल	₹ 0.25 प्रति बोतल
2	500 एम0एल0 के पैक पर	₹ 0.47 प्रति पैक	₹ 0.47 प्रति पैक	₹ 0.20 प्रति पैक
3	325/330 एम0एल0 के पैक	₹ 0.36 प्रति पैक	₹ 0.36 प्रति पैक	₹ 0.15 प्रति पैक
4	275 एम0एल0 के पैक	₹ 0.31 प्रति पैक	₹ 0.31 प्रति पैक	₹ 0.13 प्रति पैक

41. बियर/ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नांनुसार देय होगी :–

क्र0सं0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3 हेतु लाईसेंस फीस
1	650 एम0 एल0 बोतल पर	₹ 0.48 प्रति बोतल	₹ 0.48 प्रति बोतल	₹ 0.24 प्रति बोतल
2	500 एम0एल0 के पैक पर	₹ 0.38 प्रति पैक	₹ 0.38 प्रति पैक	₹ 0.19 प्रति पैक
3	325/330 एम0एल0 के पैक	₹ 0.29 प्रति पैक	₹ 0.29 प्रति पैक	₹ 0.14 प्रति पैक
4	275 एम0एल0 के पैक	₹ 0.25 प्रति पैक	₹ 0.25 प्रति पैक	₹ 0.12 प्रति पैक

42. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहीसिव लेबिल का लगाया जाना:–

देशी एवं विदेशी मदिरा (केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहेसिव लेबिल लगाये जायेंगे।

क्रमश –

43. **राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था :–**

जिलों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0–2 अनुज्ञापन अर्न्तगत थोक बिक्री के बंधित गोदाम (Bonded Warehouse) प्रत्येक जिले में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे। प्रदेश की तीनों आसवनियों की आपूर्ति प्रदेश स्तर पर 1/3 सुनिश्चित की जायेगी। राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेंतु ₹ 65 लाख लाईसेंस फीस देय होगी, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क ₹ 1 लाख 25 हजार मात्र निर्धारित किया जाता है। आसवनियों के पी0डी0–2 लाईसेंस की लाईसेंस फीस ₹ 80 प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

44. **शीरा, अल्कोहल एंव मदिरा के नमूनों का परीक्षणः–**

प्रदेश की चीनों मिलों, आसवनियों, फार्मेसियों व मदिरा गोदामों/दुकानों से प्राप्त शीरे, अल्कोहल, पेय मदिरा व अल्कोहलयुक्त औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से नमूनों का विश्लेषण प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित ख्याति प्राप्त निजी/सरकारी प्रयोगशालाओं से कराये जाने हेतु प्रयोगशालाएं अधिसूचित की जायेंगी।

45. **कम तीव्रता की एल्कोहल बेवरेज पर निर्यात शुल्कः–**

कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रेवरेज पर ₹ 0.10 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क देय होगा।

46. **आयात शुल्क की दरें :–**

ई0एन0ए0, रेक्टीफाइड स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट एल्कोहल पर ₹ 1.00 प्रति एल्कोहल लीटर आयात शुल्क देय होगा। बियर पर ₹ 4.00 प्रति बोतल लिया जायेगा अर्थात ₹ 48/– प्रति पेटी आयात शुल्क देय होगा। विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा पर आयात शुल्क ₹ 1.10 प्रति बल्क लीटर देय होगा। विदेशी मदिरा पर आयात शुल्क ₹ 10 प्रति बोतल रहेगा।

47. भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

48. एफ0एल0 16,17 की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए ₹ 500/–निर्धारित की जाती है

49. अन्य व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव

क्रमशः –

संख्या 165 (i)/XXIII/2013/04(01)2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनपद—हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4—सुभाष रोड़ देहरादून तथा100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 16612 सात लाई0–34/व्यव0–2013–14/सा0 निर्देश/विज्ञप्ति/देहरादूनःदिनांकःमार्च 04 ,2013

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या **संख्याः165/XXIII/2013/04(01)/2013ःदेहरादूनः दिनांक 04–03–2013** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 (दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2014 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) एवं एफ0एल0–5बी (बियर) की फुटकर दुकानों का दिनांक 01.04.2013 से 31.03..2014 तक की अवधि हेतु व्यवस्थापन किया जाना है,जिसके लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता हैः–

प्रथम चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	20.03.2013 समय 5.00 बजे अपरान्ह तक।
लाटरी की तिथि	29.03.2013 प्रातः 10.00 बजे से आंवटन की प्रकिया समाप्त होने तक।

द्वितीय चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	30.03.2013 समय 3.00 बजे अपरान्ह तक।
लाटरी की तिथि	30.03.2013 अपरान्ह 5.00 बजे से आंवटन की प्रकिया समाप्त होने तक।

तृतीय चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	31.03.2013 समय 3.00 बजे अपरान्ह तक।
लाटरी की तिथि	31.03.2013 अपरान्ह 5.00 बजे से आंवटन की प्रकिया समाप्त होने तक।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया एवं शर्तें उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in एवं www.uttrakhandexcise.org से तथा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। **पृथक से जिला स्तर से अन्य कोई विज्ञप्ति निर्गत नहीं की जायेगी।**

(दिलीप जावलकर)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

16613-16617

संख्याः /सात लाई0–34/व्यव0–2013–14/सा0 निर्देश/विज्ञप्ति/देहरादूनःतद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. **सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित समाचार पत्र में दिनांक 05–03–2013 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित कराते हुये विज्ञप्ति के बिल की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
5. आबकारी निरीक्षक,आई0टी0अनुभाग,मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(दिलीप जावलकर)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।